

समाहरणालय, पटना ।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

30-01-2014

श्री मुरारी प्रसाद, पिता-स्व० छोटे लाल, सा०-गोला रोड, थाना-दानापुर, जिला-पटना द्वारा एक दोनाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2010 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०-09-03/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक-30.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। पूर्व में उनके भाई की हत्या हुई थी एवं धमकी भी दिया जाता है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-692/गो०, दिनांक-02.08.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर द्वारा थानाध्यक्ष, दानापुर के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक के घर पर अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा बम मारकर दहशत फैलाने के आरोप में दानापुर थाना कांड सं०-330/2009, दिनांक-12.10.2009 धारा 307 भा०द०वि० एवं 3/4 वि०प०अधि० के तहत दर्ज किया गया है। तदोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसा करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे व्यवसाय करते हैं। पूर्व में आवेदक के भाई की हत्या हुई थी एवं धमकी भी दिया जाता है। तदोपरान्त आवेदक द्वारा अपने जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियमावली 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री मुरारी प्रसाद, पिता-स्व० छोटे लाल, सा०-गोला रोड, थाना-दानापुर, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक दोनाली बन्दूक शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री प्रसाद को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।